न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 52/2013

जीसीएमएस नम्बर 2013/00094 निर्णय दिनांकः 22.04.2025

1. स्व. प्रेमकंवर पत्नी स्व. चैनसिंह

1/1 सुप्यार कंवर पुत्री स्व. चैन सिंह पत्नी मघसिंह जाति राजूपत निवासी निवासी नाथूसर पुलिस थाना पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर।

1/2 लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व. चैनसिंह (माता स्व. प्रेमकंवर) जाति राजपूत निवासी सोनियासर शिवदानसिंह तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

1/3 भंवरी कंवर पत्नी लालसिंह पुत्री सोहनसिंह (माता स्व. रतन कंवर नानी स्व. प्रेम कंवर) जाति राजपूत निवासी पो. तांतवास तहसील खींवसर जिला नागौर पीहर पता मियांकोर पो हदा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

1/4 मांडू कंवर पत्नी पप्पूसिंह पुत्री सोहनसिंह (माता स्व. रतन कंवर नानी स्व. प्रेम कंवर) जाति राजपूत निवासी पो. तांतवास तहसील खीवसंर जिला नागौर

1/5 छैलूसिंह पुत्र चौरूसिंह पुत्र सोहनसिंह (माता स्व. रतन कंवर नानी स्व. प्रेम कंवर) जाति राजपूत निवासी मियांकोर पो. हदा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

1/6 पुष्पा पत्नी बजरंगसिंह पुत्री भवंर सिंह (माता स्व. मुन्नी कंवर नानी स्व. प्रेम कंवर) जाति राजूपत निवासी पो. सामसर झौरडा तहसील सुजानगढ जिला चुरू पीहर पता ग्राम गुन्दूसर नारनोत तहसील सुजानगढ जिला चुरू।

2. लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व. चैनसिंह जाति राजपूत निवासी सोनियासर शिवदानसिंह तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

—वादीगण—

बनाम

1. मांगूसिंह
2. हड़मान
3. धूडसिंह
4. किसनकंवर

पुत्रगण स्व. पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासीगण सोनियासर शिवदानसिंह तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक वादी।
2. श्री पूनचन्द मारू अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ता 4
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह है कि वादीगण की ओर से दावा निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 32 तादादी 30 बीघा 19 बिस्वा, सम्वत् 2016 (तत्पश्चात् खसरा नम्बर 38) वर्तमान खसरा नम्बर 48 तादादी 7.83 हैक्टेयर खेत, खसरा नम्बर 73 मिन (सम्वत् 2016) तत्पश्चात् खसरा नम्बर 86 तादादी 46 बीघा 19 बिस्वा, वर्तमान खसरा नम्बर 113 तादादी 4.92 हैक्टेयर खेत खसरा नम्बर पुराना 98 (सम्वत् 2012) तत्पश्चात् खसरा नम्बर 115 तादादी 12 बीघा–12 बिस्वा (टुकड़िया खेत) वर्तमान खसरा नम्बर 158 तादादी 3.19 हैक्टेयर कुल कीता 3 कुल तादादी 15.94 हैक्टेयर वाकेरोही, सोनियासर शिवदानसिंह तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। उक्त समस्त [illegible]वादी संख्या 1 ता 4 के दादा मूलसिंह के बराबर बराबर 1/2, 1/2 हिस्सा संयु[illegible]री, कब्जा काश्त की भूमि रही है। वादीगण अपने पैतृक 1/2 हक हिस्सा [illegible] सम्वत् 2012 से काबिज चले आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या [illegible] है। दावा की समझाईश हेतु मुकनसिंह की वंश वंशावली निम्न प्रकार से है

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

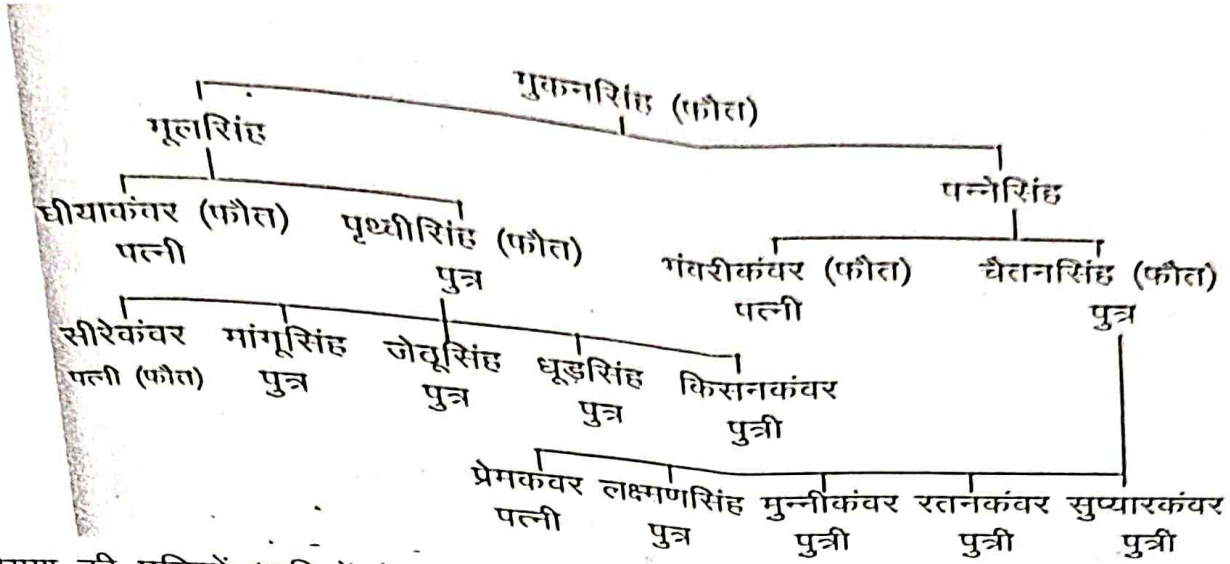

Generalized ...
Case Summary Report - Case ...

वादीगण की पुत्रियों/बहिनों ने वादगत खेतों में अपना हक हिस्सा अपनी माता व वादीगण के पक्ष में अपने पिता के जीवनकाल से ही परित्याग कर दिया था। वादगत खेत वर्तमान खसरा नम्बर 48 तादादी 7.8300 हैक्टेयर (खेड़ा) पुराना खसरा नम्बर 32 तादादी 30 बीघा 19 बिस्वा सम्वत् 2012 में वादीगण के ससुर/दादा स्व. पन्नेसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के दादा स्व. मूलसिंह के संयुक्त खातेदार का राजस्व रिकार्ड में दर्ज था तथा जमाबंदी सम्वत् 2016 में उक्त खेत का 15 बीघा 14 बिस्वा भूमि खातेदारी कब्जा काश्त वादीगण के पति/पिता चैनसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही तथा आज भी वादगत वर्तमान खसरा नम्बर 48 में 15 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर आथुणी तरफ अपने दादा/पति/पिता के जीवनकाल से लगातार शांतिपूर्वक सहअधिकार खातेदार काबिज है तथा उक्त वर्तमान खसरा नम्बर 48 की शेष 15 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 ता 4 पूर्वी तरफ के हिस्से पर काबिज सम्वत् 2012 से चले आ रहे है। वर्तमान खेत खसरा नम्बर 158 तादादी 3.19 हैक्टेयर (टुकड़िया खेत) पुराना खसरा नम्बर 98 तादादी 12 बीघा 12 बिस्वा सम्वत् 2012 में वादीगण के पति/पिता चैनसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के दादा मूलसिंह के संयुक्त बराबर बराबर हिस्सा खातेदार का राजस्व रिकार्ड में दर्ज था तथा जमाबंदी सम्वत् 2016 में भी 1/2, 1/2 हिस्सा खातेदारी की राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त खसरा भूमि भाई बंटवारा में मौखिक हिस्सा पांति सम्वत् 2016 से वादीगण के पति/पिता चैनसिंह के हिस्सा पांति में रही तब से उक्त वर्तमान खसरा नम्बर 158 की सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण अपने पति/पिता चैनसिंह के जीवनकाल से सहअधिकार खातेदार काबिज है तथा अथक प्रयास कर भूमि को कृषि योग्य उपजाऊ बनाया है। उक्त खसरा भूमि पर कब्जा काश्त गिरदावरी वादीगण के पति/पिता चैनसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। वादगत खेत वर्तमान खसरा नम्बर 113 तादादी 4.92 हैक्टेयर पुराना खसरा नम्बर 73 मि. तादादी 46 बीघा 9 बिस्वा सम्वत् 2012 में वादीगण के पति/पिता चैनसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के दादा मूलसिंह के संयुक्त बराबर खातेदारी में दर्ज था तथा राजस्व जमाबंदी सम्वत् 2016 में भी उक्त खसरान भूमि स्व. मूलसिंह, स्व. चौनसिंह के संयुक्त नाम से दर्ज रही है। उक्त खसरा भूमि भाई बंटवारा में स्व. मूलसिंह के हिस्सा पांति में रही। उक्त खसरा भूमि में 27 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता पृथ्वीसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.11.1971 को हनुमानसिंह पुत्र गंगासिंह को विक्रय कर दी, शेष वर्तमान खसरा नम्बर 113 (4.92 हैक्टेयर) भूमि प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग में चली आ रही है जिस पर वादीगण को कभी कोई उजर आपत्ति नहीं है। वादीगण के पति/पिता चैनसिंह अनपढ़, सीधे सादे व्यक्ति थे। तमाम पंच पंचायती का काम मूलसिंह करते थे तथा वे ही संयुक्त परिवार के कर्ता खान–दान थे, इसी का फायदा उठाकर मूलसिंह ने अमलाराज से सांठ–गांठ कर सम्वत् 2016 में सेटलमेंट के वक्त वर्तमान खसरा नम्बर 48 (पुराना ख.नं.38 खेड़ा) वर्तमान खसरा नम्बर 158 (पुराना ख.नं. 98) वर्तमान खसरा नम्बर 113 (पुराना ख.नं. 86 बोरड़ा) की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अकेले के नाम दर्ज करवा ली जबकि उक्त खसरा भूमि में सम्वत् 2012, 2016 में वादी के पति/पिता चैनसिंह के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज चली आ रही

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

थी तथा मौका पर भाई बंटवारा के आधार पर चैनसिंह का वर्तमान खसरा नम्बर 158 सम्पूर्ण रकबा, वर्तमान खसरा नम्बर 48 में 1/2 हिस्सा भूमि पर आथूणी तरफ कब्जा, उपयोग उपभोग चला आ रहा था व वर्तमान में वादीगण उपरोक्त अनुसार काबिज है तथा सहअधिकार खातेदार उपयोग उपभोग कर रहे है। वादगत खसरा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सेटलमेन्ट (भूप्रबन्ध) कर्मचारियों ने मूलसिंह को बैजा फायदा पहुंचाने की मंशा से बिना मौका स्थिति कब्जा काश्त व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किए समस्त वादगत खसरा भूमि का मूलसिंह अकेले के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर अगल दरामद कर दिया । उक्त समस्त इन्द्राज वादीगण के अधिकारों, हक हकुकों के समक्ष शुरू से ही विधि विरुद्ध, निष्प्रभावी है तथा वादीगण इन्हे अपने हक हिस्से तक शून्य, निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है। वादीगण के पति/पिता चैनसिंह व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के दादा मूलसिंह के बीच आपसी मौखिक बंटवारा सम्वत् 2014 में हो गया जिसके मुताबिक वर्तमान खेत खसरा नम्बर 48 में 1/2 हिस्सा आथुणी तरफ का वादीगण को विरासतन प्राप्त हुआ है तथा सम्वत् 2014 से वादीगण उक्त हिस्सा भूमि पर काबिज चले आ रहे है। शेष भूमि इस खसरान की पूर्वी तरफ प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को विरासतन प्राप्त हुई है जिस पर वे काबिज है । इसी प्रकार वर्तमान खेत खसरा नम्बर 158 तादादी 3.19 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण वादीगण के पति/पिता चैनसिंह के हिस्सा पांति में रही व खेत खसरा नम्बर 86 पुराना तादादी 46 बीघा 9 बिस्वा सम्पूर्ण प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के दादा मूलसिंह के हिस्से पांति में रही। वादीगण कृषि पैशा ग्रामीण परिवेश के है जो कि अपने पैतृक खातेदारी कब्जा, काश्त की भूमि पर विरासतन रूप से सम्वत् 2014 से काबिज चले आ रहे है तथा सअधिकार खातेदार शांतिपूर्वक, उपयोग उपभोग कर रहे है। वादीगण ने दिनांक 10.02.2013 को प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे वादीगण के पैतृक खातेदारी, कब्जा–काश्त, उपयोग उपभोग, हिस्से पांति की भूमि का खाता विभाजन करवाकर सम्वत् 2014 के मौखिक बंटवारा के आधार पर खातेदारी अलग अलग करवा देंवे तो प्रतिवादीगण ने कहा कि तुम्हारे हिस्से, कब्जे काश्त के खेतों की समस्त खातेदारी हमारे अकेले के नाम से है, अब हम तुम्हें कोई जमीन काश्त नहीं करने देंगे व तुम्हारे विरासतन खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा कर तुम्हें बेदखल करके रहेंगे । वादीगण को उक्त बात की कभी जानकारी नहीं थी कि वादगत खसरा भूमि जिस पर वे अपने पति/पिता के जीवनकाल से सअधिकार खातेदार सम्वत् 2012 से काबिज चले आ रहे है उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में उनका नाम नहीं है व उनके पिता की खातेदारी से उनका नाम हटा दिया गया है । वादीगण ने तमाम राजस्व रिकार्ड की नकले दिनांक 20.02.2013 को प्राप्त की तो उक्त तथ्यों की जानकारी प्राप्त हुई है। वादीगण वर्तमान खेत खसरा नम्बर 48 कुल तादादी 7.83 हैक्टेयर में आथुणी तरफ 1/2 हिस्सा भूमि पर अपने पिता की खातेदारी व सम्वत् 2014 के मौखिक बंटवारा के आधार पर बहैसियत खातेदार चले आ रहे है इसी प्रकार वर्तमान खेत खसरा नम्बर 158 तादादी 3.19 हैक्टेयर भूमि भी वादीगण के पिता की खातेदारी व मौखिक बंटवारा के आधार पर वर्तमान में वादीगण के ही उपयोग उपभोग में चली आ रही है वादगत वादगत खसरा भूमि में अपने 1/2 हिस्सा की खातेदारी घोषित करवाकर सम्वत् 2014 से मौखिक बंटवारा के आधार पर कब्जा काश्त के मुताबिक खाता विभाजन कराने के कानूनी अधिकारी है। वर्तमान खेत खसरा नम्बर 158 की सम्पूर्ण रकबा, खसरा नम्बर 48 का 1/2 हिस्सा आथुणी तरफ का वादीगण के कब्जे, उपयोग उपभोग व पैतृक खातेदारी के अनुसार सम्वत् 2014 के मौखिक बंटवारा के मुताबिक चला आ रहा है। खसरा नम्बर 48 का 1/2 हिस्सा पूर्वी तरफ का व खसरा नम्बर 113 (जो कि वादीगण के पति/पिता व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के दादा का संयुक्त खातेदारी का है) तादादी 4.92 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से पांति व कब्जे काश्त में चली आ रही है जिस पर वादीगण ने कभी कोई दावा, उजर आपति नहीं की। वादीगण अपनी खातेदारी व हिस्से पांति की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे है जिस पर प्रतिवादीगण अब जबरन कब्जा कर उन्हें बेदखल करने की कुचेष्टा में है इसलिए वादीगण अपने हक हिस्से, कब्जे काश्त की सुरक्षा व उपयोग उपभोग के लिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा [illegible] अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 5 को रिकार्ड का संधारणकर्ता होने के नाते पक्षकार [illegible] है जिनके विरूद्ध किसी प्रकार का विशिष्ट अनुतोष नहीं चाहां गया है। [illegible] तहसीलदार फोरमल पक्षकार संयोजित किया गया है। चूंकि उक्त दावा अत[illegible] अनुतोष का है तथा दावा में घोषणात्मक व चिरनिषेधाज्ञा, विभाजन के अनुतोष चाहा गया है । घोषणात्मक अनुतोष के दावा में राज्य सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:36:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

जाब्ता दीवानी की दफा 80 के तहत दावा दायरी से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना वश्यक होता है परन्तु उक्त दावा अमरजेन्सी का होने के कारण धारा 80 (2) सी.पी.सी. के बावत न्य न्यायालय से छूट प्राप्त कर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत खसरान भूमि वादीगण के ति/पिता स्व. चैनसिंह की खातेदारी की है। वादीगण स्व. चैनसिंह के जायज वारिसान है। ादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में मूलसिंह द्वारा जानबूझकर सम्वत् 2016 में ब्रातेदारी चैनसिंह के नाम दर्ज नहीं करवाई। वर्तमान में वादीगण सम्वत् 2012, 2016 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने पति/पिता की खातेदारी व मौखिक हिस्से पांति में आई भूमि पर आज भी मौका पर काबिज है। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने सहमतिपूर्वक राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया वादीगण के उपयोग उपभोग कब्जे काश्त की भूमि में जबरन दखलअन्दाजी कर उन्हें बेदखल करने की कुचेष्ठा में है यही वादीगण का वादाधार व वादकारण है जो कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 10.02.2013 को प्राप्त हुआ है। वादगत खेत रोही मौजा सोनियासर शिवदानसिंह तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित होने के कारण मान्य न्यायालय को उक्त दावा को सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दावा हर प्रकार से अन्दर मियाद व पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादीगण के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया गया। तनकीयात कायम की जाकर व्याख्या की गई। वादीगण की ओर से साक्ष्यवादी में लक्ष्मणसिंह व करणी सिह, किशन सिह, महावीर शर्मा का शपथ पत्र पेश कर दस्तावेज 1 से 16 प्रदर्श करवायें गये। PW-1 व PW-2 के बयान लेखबद्ध किये गये। जिरह वकील प्रतिवादी की गई। पुनः परीक्षण शून्य। PW-3 व PW-4 जिरह हेतु उपस्थित नहीं आनें के कारण जिरह साक्ष्य का अवसर बंद किया गया। दौराने वाद वादी संख्या 1 प्रेमकंवर की मृत्यु होने पर वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व धारा 151 पर अपनी सहमति प्रदान की गई। वादी/ प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 1 के नाम के आगे स्व. शब्द अंकित किया जाकर उनके वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। वादीगण द्वारा संशोधित वादशीर्षक पेश किया। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रतिवादीगण DW-1 में धुडसिंह का शपथ पत्र पेश किया। वकील वादी द्वारा DW-1 धुडसिंह जिरह की गई। पुनः परीक्षण शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस करते हुए वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर वादीगण वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया एवं अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त रूपाराम बनाम राजस्थान आरआरडी–2015 पृष्ठ संख्या 294, धर्मसिंह आदि बनाम भगवती आदि आरआरडी–2012 पृष्ठ संख्या 69, लखनलाल बनाम धनश्याम आदि आरआरडी– पृष्ठ संख्या 397 पेश की गई।

प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि वादगत खसरान की भूमि में वादीगण के दादा की 1/2 हिस्सा संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि रही है सही नहीं होने से स्वीकार नहीं व इन्कार किया जाता है। उपरोक्त खसरान की भूमि वादीगण की पैतृक भूमि नहीं है। सम्वत् 2012 के रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के दादा मूलसिंह के साथ वादीगण के दादा की 1/2 हिस्सा की खातेदारी नहीं रही है। वादगत खेतों में वादीगण के पति/पिता का कोई हक हिस्सा ही नहीं था तो वादीगण की पुत्रियों/बहनों का अपनी माता व वादीगण के पक्ष में अपने पिता के जीवनकाल से ही परित्याग कर देना संभव ही नहीं था। खसरा नम्बर 48 (खेड़ा) पुराना, खसरा नम्बर 32 की सम्वत् 2012 में वादीगण के ससुर/दादा स्व. पन्नेसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के दादा स्व. मूलसिंह [illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा है सही नहीं होने से स्वीकार नहीं व इन्कार किया जाता है। [illegible] 2 में खसरा नम्बर 32 तादादी 30 बीघा 19 बिस्वा की खातेदारी में वादीगण [illegible] नहीं रहा है और ना ही कब्जा काश्त रहा है । सम्वत् 2016 के [illegible] 32 के खसरा नम्बर 38 कायम हो गये तथा कृषक के रूप में प्रतिवादी [illegible] दादा मूलसिंह का नाम बतौर खातेदार दर्ज हो चुका है। सम्वत् 2061 की पेमाईश में खसरा नम्ब[illegible]8 के नये खसरा नम्बर 48 कायम हो गये। वर्तमान खेत खसरा नम्बर 158 तादादी 3.19 हैक्टेयर (टुकड़िया खेत) पुराना खसरा नम्बर 98

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

तादी 12 बीघा 12 में वादीगण के पति/पिता चैनसिंह व प्रतिवादीगण के दादा मूलसिंह के संयुक्त शबर हिस्सा खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना तथा जमाबंदी सम्वत् 2016 में भी 1/2, 1/2 हस्सा की खातेदारी वादीगण के पति/पिता चैनसिंह के नाम दर्ज होना रिकार्ड के विपरीत होने से स्वीकार नहीं इन्कार किया जाता है। सेटलमेन्ट विभाग ने मौका स्थिति का अवलोकन कर कब्जा काश्त के आधार पर राजस्व रिकार्ड में बिलकुल सही इन्द्राज किया है। राजस्व रिकार्ड इन्द्राज की जानकारी वादीगण व उनके पति/पिता को शुरू से ही थी परन्तु इतने वर्षों तक कोई आपति नहीं की। इस प्रकार वादीगण अपने अधिकारों का त्याग Waive कर चुके है । वादीगण अपने आपति के अधिकार को Waive कर देने से Stopped है, अब वादीगण को आपति करने का कोई अधिकार नहीं है । खेत खसरा नम्बर 80 पुराना तादादी 46 बीघा 9 बिस्वा सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के दादा मूलसिंह के हिस्सा पांति व कब्जा काश्त में रहने का तथ्य स्वीकार है। वादीगण व उनके पति/पिता को रिकार्ड की जानकारी शुरू से ही थी। वादगत खसरान पर वादीगण का खसरा नम्बर 158 को छोड़कर कब्जा-काश्त नहीं है। खसरा नम्बर 158 प्रतिवादीगण के दादा मूलसिंह ने अपने भतीजे चैनसिंह को काश्त करने के लिए दे दिया था जिस पर वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त है। तहसीलदार स्टेट की तरफ से लैण्ड लोर्ड होता है, इस नाते दावा में आवश्यक पक्षकार है। वादी का दावा अर्जेन्ट नेचर का नहीं है। धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में वादीगण का दावा काबिले खारिज है। वादीगण का स्व. चैनसिंह के जायज वारिस होने से इन्कारी नहीं है, शेष तथ्य वाद रचना के लिए मनघड़त आधारों पर दर्ज करवाये होने से स्वीकार नहीं व इन्कार किया जाता है। वादीगण ने दावा 65 साल से अधिक समय के बाद पेश किया है जो कि मियाद में नहीं है। खसरा नम्बर 32 तादादी 30 बीघा 19 बिस्वा तत्पश्चात् खसरा नम्बर 38 (सम्वत् 2016) वर्तमान खसरा नम्बर 48 तादादी 7.83 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 73 मीन तत्पश्चात खसरा नम्बर 86 (सम्वत् 2016) वर्तमान खसरा नम्बर 113 व खेत खसरा नम्बर पुराना 98 (सम्वत् 2012) तत्पश्चात् खसरा नम्बर 115 तादादी 3.19 हैक्टेयर कुल कीता 3 वाकेरोही सोनियासर के रिकार्ड में कभी भी वादीगण के पति/पिता या ससुर/दादा का नाम नहीं रहा है । सम्वत् 2012 के रेकार्ड में प्रतिवादीगण के दादा मूलसिंह का नाम दर्ज था तथा लगातार कब्जा काश्त भी प्रतिवादीगण के दादा मूलसिंह के नाम से थी। कब्जा काश्त के आधार पर उपरोक्त खेतों की खातेदारी सम्वत् 2016 में प्रतिवादीगण के दादा मूलसिंह के नाम दर्ज हुई । मूलसिंह की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज हुई तथा उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई। वर्णित खसरा भूमि पर वादीगण के ससुर/दादा का कब्जी काश्त नहीं रहा है। खेत खसरा नम्बर 158 को प्रतिवादीगण के पति/पिता ने अपने नतीजे चैनसिंह को काश्त हेतु दे दिया था जिसको चैनसिंह ने जीवनपर्यन्त काश्त किया, उसकी मृत्यु के बाद वादीगण ही काश्त करते है। खसरा नम्बर 48 तादादी 7.83 हैक्टेयर में वादीगण की कोई कब्जा काश्त नहीं है ना कब्जा काश्त रही है ना ही वादीगण का कोई अधिकार है। इस खसरा की जमीन पर हम प्रतिवादीगण का ही अधिकार कब्जा काश्त व खातेदारी एवं स्वामित्व है। वादीगण ने गलत दावा पेश किया है। सम्वत् 2012 के रेकार्ड में भी वादीगण के ससुर/दावा का नाम दर्ज नहीं है। इस खेत बाबत वादीगण ने बिलकुल गलत दावा पेश किया है। वादगत खेत के खातेदार प्रतिवादीगण है। सम्वत् 2016 से प्रतिवादीगण के दादा के अकेले के नाम वादगत खेतों की खातेदारी दर्ज हुई थी उसके बाद सम्वत् 2061 में सेटलमेन्ट और हो चुका है। वादीगण ने करीब 65 वर्षो बाद दावा पेश किया है जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण आपस में रिश्तेदार है। वादीगण को वादगत खेतों के रिकार्ड की शुरू से ही जानकारी थी फिर भी वादीगण ने इतने वर्षों तक अपने अधिकारों का क्लेम नहीं किया। वादीगण व उनके पति/पिता ने अपने कार्य व्यवहार से अपने अधिकारों का Waive कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति एक बार अपने अधिकारों का त्याग कर देता है तो दूबारा अपने अधिकार मांगने का अधिकार नहीं होता है। वादीगण पर Stopped का सिद्धान्त लागू होता है । इसी आधार पर वादीगण का दावा खारिज किए जाने योग्य है। प्रतिवादीगण खातेदार, काबिज काश्तकार है। खातेदार के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने का कोई अधिकार वादीगण को नहीं है, इसी आधार पर दावा वादीगण काबिले खारिज है। वादीगण क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आये है। वादीगण ने 65 वर्षो तक कार्यवाही नहीं करने का कोई कारण नहीं बताया है। दो दो सेटलमेन्ट हो चुके। अब वादीगण ने दावा पेश किया है। वादीगण का दावा अन्दर मियाद नहीं है, इसी आधार पर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:03 IST
Reason: SelfAttested

...ा वादीगण काबिले खारिज है । वादीगण को ना तो वादाधार हासिल है ना ही वाद हेतु ही ...त है। वादीगण ने कहीं भी वर्णित नहीं किया है कि उसको वाद हेतु किस प्रकार से हासिल हुआ । वाद हेतु के अभाव में वादीगण का दावा काबिले खारिज है एवं वादीगण का दावा खारिज किये ...ाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन ...किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब पर वाद में तनकीयात ...कायम की गई। जिसका तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है:–

तनकी संख्या 01– आया क्या वादी खसरा नंबर 48 कुल तादादी 7.83 हैक्टेयर में से वादीगण के नाम 1/2 हिस्सा व खेत खसरा नंबर 158 तादादी 3.19 हैक्टेयर (संपूर्ण) वाकेरोही सोनियासर शिवदानसिंह की खातेदारी घोषित करवानें का अधिकारी है? **–जिम्मेवादी–**

उक्त तनकी को साबित करनें का भार जिम्मेवादी पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रर्दश 01 जमाबन्दी संवत 2012 में वादीगण के पूर्वज मूलसिंह व पन्नेसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है एवं जमाबन्दी संवत 2016 प्रर्दश 2 में में वादीगण के पिता चैनसिंह के नाम भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज है। प्रर्दश 2 के अनुसार खसरा नंबर 32 मीन की 15 बिघा 19 बिस्वा भूमि चैनसिंह के खातेदारी कब्जा कशत की है तथा उक्त भूमि पर वादीगण के पिता चैनसिंह के कब्जाकाश्त के संबंध में गिरदावरी दस्तावेज प्रर्दश 10 सम्वत 2017 से 2019 के अनुसार वादगत खसरा भूमि पर चैनसिंह की कब्जा काश्त चली आ रही है। वादीगण की उक्त कृषि भूमि पैतृक होने के संबंध में दस्तावेज प्रर्दश 01 व 02 व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा की मद संख्या 02 के अनुसार वादगीण के द्वारा बताई गई वंशवंशावली को स्वीकार किया गया है साथ ही प्रतिवादी ने जवाबदावें के विशेष कथनों में यह स्वीकार किया है कि वर्तमान खेत खसरा नंबर 158 तादादी 3.19 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि को वादीगण चैनसिंह के जीवनकाल से काश्त करतें चले आ रहे है, चूंकि तनकी संख्या 01 वादगस्त खसरा भूमि 48 व 158 वाकेरोही सोनियासर शिवदानसिंह के राजस्व रिकार्ड अनुसार उपरोक्त खसरान भूमि वादीगण की पूर्वज चैनसिंह के नाम रही है तथा उपरोक्त तनकीयात के संबंध में वादी द्वारा अपने सशपथ कथनों में यह स्पष्ट कहा है कि वादगत खसरा भूमि खेत खसरा नंबर 158 की सम्पूर्ण रकबा भूमि पैतृक तौर पर हिस्सा पांति अनुसार वादीगण के कब्जे में ही चली आ रही है। वर्तमान खसरा नंबर 48 की भूमि प्रर्दश 02 के अनुसार पुराने खसरा नंबर 32 तादादी 30 बीघा 19 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता चैनसिंह के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी धुडसिंह द्वारा जिरह में स्वीकार किया गया है कि मूलसिंह के पृथ्वीसिंह व चैनसिंह के पन्नेसिंह पुत्र हुए तथा वादीगण चैनसिंह के वारिसान है, प्रर्दश 01 व 02 के दस्तावेजो के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार से खंडन का दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। प्रर्दश 02 दस्तावेज में चैनसिंह जो कि वादीगण के पिता है के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज चली आ रही थी। इसलिए उपरोक्त वादगस्त खसरान भूमि प्रथम दृष्ट्या वादी व प्रतिवादीगण की पैत्क कृषि भूमि होना साबित है। इस विवेचन के आंधार पर तनकी संख्या 01 वादी पक्ष द्वारा साबित की गई है। जो कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2–आया क्या वादगत खेतो का मौखिक बंटवारें के अनुसार वादी वादगत खेत खसरा नंबर 48 कुल तादादी 7.83 हैक्टेयर में से वादीगण के नाम 1/2 हिस्सा व खेत खसरा नंबर 158 तादादी 3.19 हैक्टेयर (संपूर्ण) विभाजन करवानें का अधिकारी है? **–जिम्मेवादी–**

वर्तमान खसरा नंबर 48 तादादी 15 बीघा 05 बिस्वा भूमि पूर्वी तरफ की प्रतिवादीगण की हिस्सा कब्जे पांती में चली आ रही है तथा शेष पश्चिमी तरफ की 15 बीघा 14 बिस्वा भूमि वादीगण के कब्जे काश्त में है। उक्त खसरा नंबर 48 की कब्जे काश्त के संबंध में प्रर्दश 15 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण संख्या 150ए/2013 सरहद बन्धी मांगसिंह कें संबंध में बनाया गया नक्शा मौका जो वादीगण व प्रतिवादीगण के विवादित खेतो के संबंध में है उपरोक्त दस्तावेज प्रर्दश 15 में पक्षकारों के कृषि भूमि के कब्जाकाश्त के संबंध में मौके के तथ्य बनतें है। जिस अनुसार वादगत खेत खसरा नंबर 48 के पश्चिमी तरफ की भूमि वादीगण के कब्जे काश्त में व पूर्वी तरफ की भूमि प्रतिवादीगण के कब्जेकाश्त में प्रतीत है। खसरा नंबर 158 तादादी 3.19 हैक्टेयर की भूमि कब्जे काश्त के संबंध में प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा की मद संख्या 11 में यह स्वीकार किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कि – वादगत खसरा भूमि पर वादीगण का खसरा नंबर 158 को छोडकर कब्जा काश्त नहीं है था विशेष कथन में भी यह अंकित किया है कि खेत खसरा नंबर 158 को प्रतिवादीगण के पति/पिता ने अपने भतीजे चैन सिंह को काश्त हेतु दिया था जिसको चैनसिंह ने जीवन पर्यन्त काश्त किया, उसकी मृत्यु के बाद वादीगण काश्त करतें है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावें व साक्ष्य जिरह में यह दबे जुबान में स्वीकार किया है कि वादगत खसरान भूमि वादीगण अपने हिस्से को बंटवारा अनुसार काश्त करतें चले आ रहे है तथा उक्त बंटवारा मौके पर भी है यदि मौखिक बंटवारा नहीं होता तो वादीगण खसरा नंबर 158 की सम्पूर्ण भूमि व खसरा नंबर 48 की पश्चिमी तरफ की 1/2 हिस्सा भूमि पर कब्जा काश्त कैसे कर पातें। गिरदावरी दस्तावेज के अनुसार भी वादगत खसरान भूमि में वादीगण के पिता चैनसिंह के कब्जाकाश्त की साक्ष्य मौजूद है। इस विवेचन के आधार पर यह पाया गया है कि वादगत खसरान भूमि का पैतृकतौर पर मौखिक बंटवारा हुआ है तथा पक्षकारान अपने-अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है। इसी अनुसार कृषि भूमि का विभाजन किया जाना उचित है। इसलिये तनकी संख्या 02 वादीगण ने बेखूबी साबित की है तथा तनकी संख्या 02 वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03. आया वादगत खेत पैतृक भूमि नहीं है? — **जिम्मे प्रतिवादी**—

उक्त तनकी कों साबित करनें का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे था। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वादगत खसरान भूमि प्रतिवादी स्वंय के नाम या वादीगण स्वंय के नाम रही है बल्कि प्रर्दश 01 व 2 में यह इन्द्राज है कि वादगत खसरान भूमि वादीगण के पूर्वज चैनसिंह पुत्र पन्नेसिंह व प्रतिवादीगण के पूर्वज मूल सिंह के नाम दर्ज है। प्रतिवादी घुडसिंह ने जिरह में स्वीकार किया गया है कि वादगत खसरान भूमि पर हम प्रतिवादीगण को विरासतन हिस्सा प्राप्त हुआ है तथा जवाबदावें के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादगत खसरान भूमि पक्षकारान की विरासतन भूमि रही है। इस विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण यह साबित नहीं कर पाये है कि वादगत खसरान भूमि पैतृक नहीं है। इस प्रकार तनकी संख्या 03 प्रतिवादीगण के विरूद्ध व वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04. क्या वादी को राजस्व रिकार्ड इन्द्राज की जानकारी शुरू से ही थी?

— **जिम्मे प्रतिवादी**—

उक्त तनकी को साबित करनें का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे था परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। लिहाजा उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध व वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 05 . आया क्या वादीगण व उनके पति/पिता ने अपने अधिकारों का WAIVE कर दिया है जिसके कारण वादीगण पर Stopped का सिद्धान्त लागू होता है जिसके कारण वादी का दावा खारिज योग्य है? — **जिम्मेप्रतिवादी**—

उक्त तनकीयात के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पति/पिता द्वारा वादगत खेतों में अपने अधिकारों को WAIVE कर दिये जाने का कथन अपने जवाब दावें में किया गया। जिससे अप्रत्यक्ष रूप से वादीगण के पति/पिता का वादगत खेतों में अधिकार होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि खसरा नंबर 158 की सम्पूर्ण भूमि वादीगण अपने पिता चैनसिंह के जीवनकाल से पुश्तैनी तौर पर काश्त करतें है। प्रतिवादीगण ने यह स्वीकार ही कर लिया कि वादगत खसरान भूमि पर वादीगण लगातार पैतृक तौर पर हिस्सा अनुसार काबिज चले आ रहे है तो यह कथन स्वीकार्य नही होगा की वादीगण व उसके पिता चैनसिंह ने वादगत खसरान भूमि पर अपने अधिकारों का WAIVE किया हो जिस कारण उक्त अधिकारों कें संबंध में Stopped का सिद्धान्त के आधार पर वादीगण का दावा खारिज किया जावें। इस विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 5 प्रतिवादीगण के विरूद्ध व वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

6. अनुतोष?

उपरोक्त तनकीवार विवेचन से यह स्पष्ट है कि राही ग्राम सोनियासर शिवदानसिंह में स्थित खेत खसरा नम्बर 48 कुल तादादी 7.83 हैक्टेयर व खसरा नं. 158 तादादी 3.19 हैक्टेयर (सम्पूर्ण) वाकेरोही सोनियासर शिवदानसिंह की वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है। वादीगण के दादा पन्नेसिंह व पिता चैनसिंह का नाम दस्तावेज प्रर्दश 01 व 2 जमाबन्दी संवत 2012 में अंकित है एवं जमाबन्दी संवत 2016 में वादीगण के पिता चैनसिंह का नाम बतौर संयुक्त खातेदार राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

दर्ज हुई है। तत्तपश्चात सेटलमेन्ट के दौरानें वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पति/पिता द्वारा वादगत खेतों में अपने अधिकारों को NAIVE कर दिये जाने का कथन अपने जवाब दावें में किया गया। जिससे अप्रत्यक्ष रूप से वादीगण के पति/पिता का वादगत खेतों में अधिकार होना स्वीकार किया गया है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 व धारा 151 सीपीसी में उल्लेखित दस्तावेजात प्रमाणित प्रति प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 61/13 पी.एस.शेरूणा का भी अवलोकन किया गया। प्रर्दश–16 पक्षकारों के बीच में हुए फौजदारी प्रकरण से संबंधित है, जिसे वादी ने प्रर्दशित करवाया है, जिसमें कृषि भूमि पर वादीगण की ढाणी, मकानत पश्चिमी ओर बने है, पूर्वी तरफ प्रतिवादीगण की हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ढाणी व कब्जेकाश्त के संबंध में अंकन है। उक्त दस्तावेज से मालिकाना हक तय नहीं किया जा सकता है परन्तु उक्त दस्तावेज वादगत खेत के कब्जा के संबंध में सहायक दस्तावेज है जिससे वादीगण का वादगत खेत खसरा नंबर 48 में कब्जा चला आ रहा होना साबित होता है। दस्तावेाजी साक्ष्य से उक्त भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नंबर 48 कुल तादादी 7.83 हैक्टेयर की भूमि वादीगण के नाम 1/2 हिस्सा भूमि व खेत ख.नं. 158 तादादी 3.19 हैक्टेयर वाकेरोही सोनियासर शिवदानसिंह की सम्पूर्ण भूमि वादीगण के नाम घोषित की जाती है। खसरा नंबर 48 तादादी 7.83 हैक्टेयर के संबंध में तहसीलदार श्रीडूंगरगढ वादी एवं प्रतिवादीगण की आने जाने की सुविधा का ध्यान में रखतें हुए विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करतें हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें। चिरनिषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी कि जाती है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 48 कुल तादादी 7.83 हैक्टेयर में वादीगण के 1/2 पश्चिमी तरफ की हिस्सा भूमि व खेत ख.नं. 158 तादादी 3.19 हैक्टेयर (सम्पूर्ण) वाकेरोही सोनियासर शिवदानसिंह में प्रतिवादीगण प्रवेश ना करें वादीगण को बेदखल नहीं करें, ना ही कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में कोई बाधा विघ्न नहीं डाले व वादगत खेतों को विक्रय, रहन, बैय दीगर प्रकार से मुन्तकिल नहीं करें ना ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य करें ना किसी अन्य से करावे जिससे वादीगण के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो । तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। हर्जा–खर्चा वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपना–अपना वहन करें। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:03 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री
मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल (R.A.S)

उनवान

1. स्व. प्रेमकंवर पत्नी स्व. चैनसिंह
1/1 सुप्यार कंवर पुत्री स्व. चैन सिंह पत्नी मघसिंह जाति राजूपत निवासी निवासी नाथूसर पुलिस थाना पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर।
1/2 लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व. चैनसिंह (माता स्व. प्रेमकंवर) जाति राजपूत निवासी सोनियासर शिवदानसिंह तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
1/3 भंवरी कंवर पत्नी लालसिंह पुत्री सोहनसिंह (माता स्व. रतन कंवर नानी स्व. प्रेम कंवर) जाति राजपूत निवासी पो. तांतवास तहसील खींवसर जिला नागौर पीहर पता मियांकोर पो हदा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
1/4 मांडू कंवर पत्नी पप्पूसिंह पुत्री सोहनसिंह (माता स्व. रतन कंवर नानी स्व. प्रेम कंवर) जाति राजपूत निवासी पो. तांतवास तहसील खीवसंर जिला नागौर
1/5 छैलूसिंह पुत्र चौरूसिंह पुत्र सोहनसिंह (माता स्व. रतन कंवर नानी स्व. प्रेम कंवर) जाति राजपूत निवासी मियांकोर पो. हदा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
1/6 पुष्पा पत्नी बजरंगसिंह पुत्री भवंर सिंह (माता स्व. मुन्नी कंवर नानी स्व. प्रेम कंवर) जाति राजूपत निवासी पो. सामसर झौरडा तहसील सुजानगढ जिला चुरू पीहर पता ग्राम गुन्दूसर नारनोत तहसील सुजानगढ जिला चुरू।
2. लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व. चैनसिंह जाति राजपूत निवासी सोनियासर शिवदानसिंह तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

बनाम

1. मांगूसिंह
2. हड़मान
3. धूड़सिंह
4. किसनकंवर

पुत्रगण स्व. पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासीगण सोनियासर शिवदानसिंह तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

दावा बाबत घोषणात्मक, चिरनिषेधाज्ञा, विभाजन व रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर 52/2013

निर्णय दिनांकः

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता ललित कुमार मारू एवं प्रतिवादी की ओर से श्री पूनमचन्द मारू मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नंबर 48 कुल तादादी 7.83 हैक्टेयर की भूमि वादीगण के नाम 1/2 हिस्सा भूमि व खेत ख.नं. 158 तादादी 3.19 हैक्टेयर वाकेरोही सोनियासर शिवदानसिंह की सम्पूर्ण भूमि वादीगण के नाम घोषित की जाती है। खसरा नंबर 48 तादादी 7.83 हैक्टेयर के संबंध में तहसीलदार श्रीडूंगरगढ वादी एवं प्रतिवादीगण की आने जाने की सुविधा का ध्यान में रखतें हुए विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करतें हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें। चिरनिषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी कि जाती है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 48 कुल तादादी 7.83 हैक्टेयर में वादीगण का 1/2 पश्चिमी तरफ की हिस्सा भूमि व खेत ख.नं. 158 तादादी 3.19 हैक्टेयर वाकेरोही सोनियासर शिवदानसिंह में प्रतिवादीगण प्रवेश ना करें वादीगण को बेदखल नहीं करें ना ही काश्त उपयोग उपभोग में कोई बाधा विध्न नहीं डाले व वादगत खेतों को विक्रय, रहन, बय दीगर प्रकार से मुन्तकिल नहीं करें ना ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य करें ना किसी अन्य से करावे जिससे वादीगण के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो । तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:03 IST
Reason: SelfAttested

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....0.. फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 22 माह 04 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:03 IST
Reason: SelfAttested